कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़ लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122 E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

पत्रांक– 186 /23 एल.ए. 8W223 दिनांक:– 24/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP UK ROAD 28962/2017 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/06/150/2018/एफ0सी0/1562 दिनांक 14.10.2020 द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के क्रम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार तैयार कर निम्नवत प्रेषित हैः–

क्र॰ सं॰	बिन्दुवार	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति में किसी भी प्रकार से परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जायेगी	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण। (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5. 08 हे॰ गैर वानिकी भूमिग्राम कुंज पोथनी सिविल खसरा नं॰ 2108 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा जहा तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी Guide Line para 2.4 (I) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व सेबाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनीयम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(क) शर्त मान्य हैं। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कौंज पोथनी के खाता खतौनी संख्या 20 श्रेणी 9,(ग) स्थाई पशुचर खसरा संख्या 2108 रकवा 24.490 हे0 मध्यें 5.080 हे0 सिविल भूमि का जिलाधिकारी चमोली के आदेश संख्या 1177/छब्बीस–5 (2024–25) दिनांक 16.11.2024 द्वारा वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया हैं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु देय धनराशि रू.1884182.00 (अठाहर लाख चौरासि हजार एक सौ बयासी) आर.टी. जी. एस. 522090846841 दिनंक 31. 03.20222 द्वारा उत्तराखण्ड़ कैम्पा/वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। सलंग्न अमलदरामद एवं चालान की प्रति, चार–चार प्रतियों में । (1-4) (ग) उक्त प्रमाण पत्र आपके स्तर से सलंग्न किया जाना है।

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003,28.03.2008,24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ॰सी॰ (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ॰सी॰ दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.54 हे॰ वनक्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) एन॰पी॰बी॰ हेतु देय धनराशि रू॰ 21,46,300.00(इक्कीस लाख छियालीस हजार तीन सौ) आर॰टी॰ जी॰ एस॰ 522090846841 दिनंक 31.03.2022 द्वारा उत्तराखण्ड़ कैम्पा/वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। चालान की प्रति संलग्न अन॰ है (ख) शपथ पत्र सलंग्न है।(4-5)
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई का न्यूनतम कर देगा जिनको संख्या प्रस्ताव के अनुसार 275 trees including 136 sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी	प्रयोक्ता अभिकरण 275 trees including 136 sapling से अधिक नहीं होगे तथा न्यूनतम पेड़ो का पातन किया जायेगा, पातन हेतु देय धनराशि वन विकास निगम के पक्ष में जमा किया जायेगा।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https:/parivesh.me.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कार्य प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा (https:/parivesh.me.in) के माध्यम से जमा की जा चुकी है।(5-6)
7	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सडक के दोनों किनारो पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य हैं।
8	state Govt. will inform this office if they pass any order for tree cuting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 the state govt. will strictly monitor and ensure that no further ativity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त मान्य हैं।

9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्न 4 प्रतियों में। (०.7- 13)
10	संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लांन नहीं बदला जायेगा।	केन्द सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न-(13-14)
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	मोटर मार्ग निर्माण के समय वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।(प्रमाण पत्र संलग्न– (14-15)
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम से वैकल्पिक ईधन के अन्य स्रोत से प्राप्त लकड़ी विशेषतः ईधन दिया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न– (15-16)
15	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को प्रयोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि की आर॰सी॰सी॰ पिलरों से सीमांकन किया जाऐगा।(प्रमाण पत्र संलग्न-(16-17)
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	र मार्ग निर्माण के समय सामग्री के परिवहन के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। ाण पत्र संलग्न– (17-18)
17	वनभूमि का परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	(प्रमाण पत्र संलग्न– (18-19)
18	कार्य संरक्षण का पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	(प्रमाण पत्र संलग्न–(19-20)
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय के दिशानिर्देश फाइल संख्या11– 42 / 2017– FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	(प्रमाण पत्र संलग्न– (20-21)
20	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।

21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगा कर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जिवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इसका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	(प्रमाण पत्र संलग्न– (21-22)
22	यदि कोई अन्य संबधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
23	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) अपलोड की जायेगी	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) पर अपलोड के साथ हार्ड कॉपी में संलग्न कर प्रेषित। (22-23)

24.01.2025

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता (प्रथम), प्रा. खण्ड लो.नि.वि., गोपेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त प्रकरण में वन विभाग से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः– वनभूमि सहायक / खण्ड़ीय अमीन प्रा0ख0लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा.खण्ड, लो.नि.वि.,
गोपेश्वर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/150/2018/एफ0सी0/1562 दिनांक: 14/10/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – चमोली के विकास खण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अंतर्गत डुगंरी से कौंज पोथनी–बौला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1206/x-4-18/1(209)/2018 दिनांक 11.12.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/28961/2017 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्तगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनायें चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 9.10.2020 द्वारा ऑनलाईन प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार जनपद – चमोली के विकास खण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अंतर्गत डुगंरी से कौंज पोथनी–बौला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:

क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.08 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम कुंज पोथनी सिविल खसरा न0 2108 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।

ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. शुद्ध वर्तमान मूल्य

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.54 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 275 trees including 136 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
7. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
8. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार / प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः
1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(टी0 सी0 नौटियाल)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

क्रम सं0 4684
पत्रावली सं0 27LA
दिनांक 21-11-2024

(1)

!! आदेश !!

जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंगरी से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 02.54 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 05.08 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतएव उप महा निरीक्षक, वन (के0) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–8 बी/यू0सी0पी0/06/150/2018/एफ0सी0/1562 दिनाँक 14.10.2020 में प्राविधानित शर्तों के अनुसार उप जिलाधिकारी चमोली के पत्र संख्या–43/र0का–क्षति0वृक्षा/भूमि अम0/2024 दिनाँक 06.11.2024 के अनुक्रम में जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंगरी से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 02.54 हेक्टेयर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम कौंज पोथनी, पटवारी क्षेत्र छिनका, तहसील चमोली, जनपद चमोली की नॉन जेड0 ए0 खतौनी खाता संख्या–20, खसरा संख्या–2108 रकवा 24.490 हेक्टेयर मध्ये 05.080 हेक्टेयर, श्रेणी–09 (03) (ग) ''स्थाई पशुचर व चराई की भूमि'' को प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 दिनाँक 17.12.2012 के आलोक में वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्थानः गोपेश्वर,
दिनाँकः नवम्बर 2024,

(डा0 संदीप तिवारी)
जिलाधिकारी,
चमोली।

L.A.C / [illegible]
20/11/24
CA

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली

संख्या– 1177/छब्बीस–5 (2024–2025) दिनाँकः गोपेश्वरः 16 नवम्बर 2024
प्रतिलिपि– निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।
02– सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
03– सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
04– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड देहरादून।
05– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार चमोली
07– प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ/केदारनाथ/अलकन्दा वन प्रभाग गोपेश्वर।
08– प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क, जोशीमठ।
09– सहायक भूलेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
10– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि0 गोपेश्वर।
11– कार्यालय प्रति।

P.C Attested

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

जिलाधिकारी,
चमोली।

ग्राम - कोठगोरखपुरी रा० उ० नि० क्षे० डिमका तहसील व जिला चमोली

(2)

19-	झाड़ी	101	0.053	
		योग 1	0.053	
	श्रेणी न (ग):- खेती के अयोग्य व कराई की दूसरी भूमि:-			
20-	चरागाह	31	0.013	
		162	3.000	
		184	0.433	गु० आदेश सं० 1171/डिप्टीमि-5(2024-25) दिनांक गोपेश्वर 16 नवम्बर 2024 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2178/XVIII(II)2017-18(120)/2010 दिनांक 17.12.2017 के ग्राम कुंवारी से कोठगोरखपुरी - पौला तकमोटरमार्ग हेतु 02.54 है० वन भूमि सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम कोठगोरखपुरी खाता खतौनी संख्या 20 खसरा संख्या-2108 रकबा 24.490 मध्ये 5.080 है० भूमि सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष नामान्तरण / हस्तान्तरण किये जाने पर अमलदरामद किया। (हस्ताक्षर) रा० उ० नि० डिमका
		188	0.340	
		190	0.878	
		193	0.124	
		268	0.760	
		406	0.180	
		417	0.380	
		440	7.558	
		861	0.200	
		862	0.165	
		895	0.028	
		903	0.035	
		909	7.354	
		950	0.660	
		1897	3.000	
		2108	24.490	
		2109	1.550	
		2249	1.040	
		2551	1.780	
		2715	2.240	
		2719	0.083	
		2720	1.000	
		2721	1.670	

पी० एस० यू० पी० (आर० ई०) 1 रा० परिषद/244-23-9-95-1402 पां०-700000

(हस्ताक्षर)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र .... डिमका
तहसील ...... चमोली

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E MaiL :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक – कैम्प / कैग्रो

दिनांक–गोपेश्वर 31/03/2022

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक,
गोपेश्वर।

विषय :– सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों पर एन॰पी॰वी॰, क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि इस खण्ड के अधीन डुंगरी से कौंज–पौथनी–बौंला मोटर मार्ग निर्माण पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के सापेक्ष चैक सं॰ 406212 दि॰ 28.03.2022 –रु॰ 4030482.00 मूल में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, कि संलग्न चैक का <u>उत्तरांचल कैम्पा, खाता सं॰ 150896128961373, IFSC No- UBIN0903710</u> के पक्ष में पक्ष में NEFT/RTGS द्वारा भुगतान करने का कष्ट करें। ताकि निर्माण सम्बन्धी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्न – चैक मूल में 1 नं॰

(इं॰ विपुल कुमार सैनी)
अधिशासी अभियन्ता
प्रां॰खं॰ लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

P.C Attested

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

(4)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 31-03-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6128961373
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/150/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PROVINCIAL DIVISIONChamoli
Amount(in Rs)	4030482/-

Amount in Words :Forty Lakh Thirty Thousand Four Hundred and Eighty-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896128961373 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies m
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy c
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Somya

Executive Engineer
Provincial Division P.W.D
Gopeshwar

P.C Attested

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

भारतीय स्टेट बैंक, गोपेश्वर
31 MAR 2022

S BI ...

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122 E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

(5)

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन॰पी॰वी॰ धनराशि में बढ़ोत्तरी होने पर अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा की जायेगी।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122
E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

(6)

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त धनराशि ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल के माध्यम से वन विभाग के पक्ष में जमा किया चुका है।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

15 (7)

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 10.08.2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRa, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 2.54 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Kunj-Pothani-Bounla motor road form Dungri Under PWD Gopeshwar, Length 7.00 Km (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.54 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	... there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature

(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी
चमोली

DM FRA Letter

ANNEXURE

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli District, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate. Chamoli on dated 10-08-2016 at time 13:00 Hrs at Chamoli in which application claiming rights in Chamoli area measuring 2.54 hect for the Construction of Kunj-Pothani-Bounla motor road form Dungri Under PWD Gopeshwar, Length 7.00 Km forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Chamoli sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Gopeshwar

Dated: 10-08-2016

Signature

10.08.16

(Vinod Kumar Suman)

(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी चमोली

DM FRA Letter

प्रपत्र 232

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली मे डुंग्री–कौंज पोथनी–बौंला मोटर मार्ग निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड़ स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड़ चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली में डुंग्री–कौंज पोथनी–बौंला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 है. सिविल/आरक्षित वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता)अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड़ स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 29/01/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्ननुसार है:–

1– श्री रामजी शरण शर्मा ....उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2– श्री सुरेन्द्र ....उप प्रभागीय वनाधिकारी .... सदस्य
3– श्री शिवकुमार अवस्थी ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... सदस्य/सचिव
4– श्री जसपाल ....बी.डी.सी. क्षेत्र .... सदस्य

उपखण्ड़ सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाहीं की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड दशोली के राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में डुंग्री–कौंज पोथनी–बौंला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 है. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड़ स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उपजिलाधिकारी अध्यक्ष उप जिलाधिकारी चमोली	उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य	सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव स० स० क० अधिकारी वि० ख० दशोली (चमोली)	जसपाल बी.डी.सी. सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम पोथनी वि० ख० दशोली (चमोली)

DM FRA Letter

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत [illegible] चमोली के विकाराखण्ड दशोली में डुंग्री--कौंज पोथनी--[illegible] मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड दषोली में डुंग्री–कौंज पोथनी–बौंला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.45 हे0 वनभूमि हस्तान्तरण हेतु 2.45 हे0 सिविल/आरक्षित वनभूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी, यह कि वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य हैं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त वनभूमि 2.45 हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को दिये परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्रामसभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत कौंजपोथनी
ह0 भारती देवी
दिनांक 20.8.016
वि0 ख0 दशोली चमोली

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible]
ह0 [signature]
दिनांक 20.8.16
वि0 ख0 दशोली चमोली

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 10.12.015 को ग्रामसभा कौंजपोथनी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Anemyalat	Anul
(2)	श्री धूम सिंह रावत बैली	धूमसिंह
(3)	" विक्रम सिंह " कौंज	विक्रम सिंह
(4)	" दुल्ली लाल	दुलीलाल
(5)	[illegible] सिंह राणा	[illegible]
(6)	श्रीमती सरिता देवी वन पंचायत सरपंच	सरिता देवी
(7)	जयदीपसिंह	[illegible]
(8)	पुष्कर सिंह	[illegible]
(9)	जीतसिंह	[illegible]
(10)	श्री नरेन्द्रसिंह	[illegible]
(11)	बलवन्तसिंह	नरेन्द्र
(12)	गिरधारीलालसिंह	बलवन्तसिंह
13	सुरेन्द्रसिंह	गिरधारीलालसिंह
14	नरेन्द्र सिंह	[illegible]
15	दलीपसिंह	नरेन्द्रसिंह
16	अवतार सिंह रावत	दलीपसिंह
		[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत कौंजपोथनी
ह० भारती देवी
दिनांक ....
वि० ख० दशोली चमोली

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 10.12.2015 को ग्रामसभा कौंजपोथनी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17-	बाल सिंह	बालसिंह
18	कुँवर सिंह	कुँवरसिंह
19	श्रीमती मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
20	राजेन्द्र ~~सिंह~~ लाल	राजेन्द्र लाल
21	जितेन्द्र कुमार	Kumar
22	श्रीमती माहेश्वरी देवी	माहेश्वरी देवी
23.	श्री हिरालाल	हिरालाल
24.	राकेश लाल	राकेश
25	श्रीमती कविता देवी	कविता देवी
26	" संग्रामी देवी	संग्रमीदेवी
27	किशोरी लाल	[illegible]
28	नरेन्द्र लाल	नरेन्द्रलाल
29	रामदयाल लाल	रामदयाललाल
30	दुल्ली लाल	दुल्लीलाल
31	देवेन्द्र लाल	[illegible]
32	सुलोचना देवी	सुलोचना देवी

DM FRA Letter

प्रधान ग्राम पंचायत कौंजपोथनी ह० भारती देवी दिनांक .... वि० ख० दशोली चमोली

प्रपत्र – 23.1

दिनांक 15.12.2015 को ग्रामसभा 09. बौंला की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये :–

क्रम सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	श्री कुँवर सिंह (सरपंच ग्राम पंचायत बौंला)	[signature]
(2)	नरेन्द्र सिंह	[signature]
(3)	पंकज सिंह	[signature]
(4)	[illegible] सिंह	[signature]
(5)	महावीर सिंह	[signature]
(6)	सतीश नेगी	महावीर
(7)	हरीश नेगी	[signature]
(8)	[illegible]	[signature]
(10)	जयदीप सिंह	[signature]
(11)	धर्म सिंह	[signature]
(12)	भूपेन्द्र [illegible]	[signature]
(13)	लक्ष्मण सिंह	[signature]
(14)	अनिल सिंह नेगी	[signature]
(15)	विनीता	[signature]
(16)		Vineeta
(17)		

ग्राम पंचायत बौंला
दिनांक..........
वि० ख० दशोली चमोली

DM FRA Letter

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122
E Mail :- eepdgpr1@.gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मोटर मार्ग निर्माण के समय वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

16

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को वन विकास निगम से अथवा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि सीमा प्रयोजना लागत में आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122
E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य निस्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के प्रस्ताव में विनिदृष्टि प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे॰ वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो॰नि॰वि॰,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

(22)

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पूर्व विद्विष्ट स्थलों पर ही मलवा निस्तारण किया जायेगा।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड़, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर

Ph. No/Fax No :- 01372 – 252122
E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

(23)

प्रमाण पत्र

विषय : – जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली प्रस्तावित राज्य योजना के अन्तर्गत डुग्री से कौंज पोथनी–बौंला तक मोटर मार्ग हेतु 2.54 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जायेगी।

ASSISTANT ENGINEER
PROVINCIAL DIVISION P.W.D.
GOPESHWAR

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड़, लो०नि०वि०,
गोपेश्वर